कार्यालय अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)

खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–297001

E-Mail:- deangmcvidisha@gmail.com, Website:- www.gmcvidisha.org

क्रमांक 2041 / स्था. / अ.बि.वा.शास.चिकि.महा.विदिशा / 2019 दिनांक 05/07/2019

फोटोकापी मशीन उपलब्ध कराने हेतु सीमित निविदा का आमंत्रण सूचना

फोटोकापी मशीन धारकों / रजिस्टर्ड फर्मों को सूचित किया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में कार्यालयीन एवं चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के दस्तावेजों की फोटोकापी करने के लिए फोटोकापी मशीन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु सीमित निविदा का आमंत्रण प्रपत्र निम्नानुसार नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जा रहा है। इस हेतु आपकी न्यूनतम दरें समस्त कर एवं दायित्वों के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र	कार्य का विवरण
1	अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में प्रायवेट फर्म की ओर से फोटोकापी मशीन लगाना।

निविदा हेतु नियम एवं शर्ते :–

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 17.07.2019 समय शाम 5.00 बजे तक है।
2. निविदा दिनांक 18.07.2019. को दोपहर 12.00 बजे महाविद्यालय के बैठक कक्ष में समिति के समक्ष खोली जावेगी, निविदादाता फर्म स्वयं अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में सम्मलित हो सकेंगें।
3. प्रदाय निविदा दर समस्त कर एवं दायित्वों के साथ प्रस्तुत की जानी होगी। निविदाकार को A-4 एवं A-3 साईज की प्रति कॉपी के हिसाब से दर देनी होगी।
4. निविदा को लिफाफे के अंदर रखकर, सील बंद कर, उसके ऊपर निविदा का नाम एवं फर्म का नाम लिखा जाना होगा।
5. साधारणतः न्यूनतम निविदा दर प्रदाता फर्म को आदेश जारी किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में उच्च दर प्रदाता फर्म को निविदा कार्य हेतु चयनित किया जा सकेगा।
6. सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी करने से पूर्व फर्म को अनुबंध संपादित करना होगा, अनुबंध एवं नोटरी इत्यादि का संपूर्ण व्यय संबंधित निविदाकार फर्म द्वारा जमा किया जाना होगा अनुबंध न करने की दशा में द्वितीय दर प्रदाता फर्म से अनुबंध की कार्यवाही की जा सकेगी।

7. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रू. 5000/-(पांच हजार रूपये) का डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। धरोहर राशि का डी.डी. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के नाम से देय होगा। सफल निविदाकार की धरोहर राशि चिकित्सा महाविद्यालय निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदायगी शेष न रहने पर राशि वापिस की जायेगी। शेष असफल निविदादाताओं की निविदा धरोहर राशि आवेदन देने पर 01 माह में वापिस की जायेगी।

8. महाविद्यालय में मशीन रखने के लिये स्थान एवं बिजली की व्यवस्था दी जायेगी।

9. कार्यालय में स्थापित की जाने वाली फोटोकॉपी मशीन हेवी ड्यूटी में सक्षम एवं 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये। इस हेतु मशीन क्रय से संबंधित देयक के प्रमाण -पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

10. मशीन रखरखाव व ऑपरेटर आदि सभी व्यय निविदाकार को वहन करना होगा कार्यालय द्वारा केवल बिजली का व्यय वहन किया जायेगा। फोटोकॉपी मशीन के लिये कार्यालय में जिस ऑपरेटर की सेवाये उपलब्ध कराई जायेगी, उसको फोटोकॉपी कार्य का पर्याप्त अनुभव होने के साथ-साथ मरम्मव कार्य आना चाहिये।

11. फोटोकॉपी मशीन में किसी तरह की त्रुटी जैसे शॉट् सर्किट आदि के कारण होने वाली हानि की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता (निविदाकार) की होगी और इसकी उससे पूरी वसूली की जावेगी।

12. कार्यालय द्वारा जो फोटोकॉपी कार्य सौंपा जायेगा वह कार्यालय भवन में करना होगा और जो दस्तावेज फोटोकॉपी कार्य हेतु दिये जायेंगे उसके बारे में किसी बाहरी व्यक्ति अथवा अनाधिकृत व्यक्तियों को जानकारी नहीं दी जावेगी। इस प्रकार की शिकायत प्रमाणित होने पर अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जावेगा।

13. फोटोकॉपी कार्य हेतु प्राप्त आदेश पत्रों की प्रतियाँ संधारण करना होगा एवं लागबुक संधारण करना होगा जो कि संबंधित शाखा से प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात ही देयक का मासिक भुगतान होगा।

14. आपरेटर द्वारा उन्हीं दस्तावेजों की फोटोकॉपी की जायेगी जो कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सौंपे जायेगें।

15. उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों का सेट बनाकर तथा स्टेपल करके ही देना होगा।

16. सफल निविदाकार को उच्च गुणवत्ता की फोटोकॉपी कराकर देनी होगी। खराब कॉपी स्वीकार नहीं की जायेगी और खराब कॉपी के लिए कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

17. यदि निविदाकर्ता कार्यालय द्वारा दिये गये फोटोकॉपी कार्य को किसी भी कारणवश करने में असमर्थ रहता है, और अन्य स्थान से फोटोकॉपी कार्य के लिये त्वरित व्यवस्था नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कार्यालय अपने विवेक अनुसार फोटोकॉपी कार्य कराने में सक्षम होगा, जिसके व्ययों की प्रतिपूर्ति अनुबंधकर्ता के देयकों से की जावेगी। निविदाकार द्वारा कोई आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा।

18. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये मान्य/अमान्य करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा को होगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
19. कार्य संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त किया जायेगा।
20. अनुबंध की वैद्यता एक वर्ष की होगी परन्तु प्रथमतः तीन माह के लिए अनुबंध किया जायेगा, कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध को शेष 9 माह के लिये एक साथ या पृथक आगे बढाया जायेगा तथा नई निविदाऐं होने तक सफल निविदाकार को पुरानी दरों पर ही कार्य करना होगा।
21. निविदाकार को पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (स्थापना अधिनियम के अंतर्गत) संलग्न करना होगा ।
22. निविदाकार को फर्म का टिन नंबर एवं दिनांक (फोटोकॉपी संलग्न करें) संलग्न करना होगी।
23. निविदाकार को पेन नंबर (पेन कार्ड) की फोटोकॉपी संलग्न करना होगी।
24. निविदाकार को वाणिज्य कर विभाग का जीवित पंजीयन क्रमांक की छायाप्रति संलग्न करना होगी।
25. फोटोकॉपी कार्य में उपयोग किया जाने वाला पेपर 70GSM का ही उपयोग किया जावेगा।
26. फोटोकॉपी मशीन में A-3 साईज एवं इन्लार्जमेंट रिडक्शन की सुविधा होनी चाहिए।
27. वर्तमान में दो कार्यालय में एक–एक मशीन लगाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त एक मशीन आवश्यकता अनुसार लगाई जाने का समय–समय प्रावधान होगा।
28. सफल निविदाकार को सभी देय कर (Tax) नियमानुसार स्वयं जमा कराना होगा।
29. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र विदिशा न्यायालय रहेगा।

अधिष्ठाता
अ.बि.वा.शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
विदिशा